ालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर.....22...../2017-18 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

अनुवानः— राज्य सरकार बनाम .....श्रवणाराम.....

निर्णय

दिनांकः—...16.../...5.../...18...

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में ा इस प्रकार है कि पटवारी हल्कां ...लिखमीसर उतरादा...अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि है कि गैर सायल...श्रवणाराम... पत्नि श्री ...गणपतराम...जाति ...जाट...निवासी...लिखमीसर उतरादा... ग्राम ...लिखमीसर उतरादा...के अराजी खसरा नम्बर ...319... ...3.93...हैक्टेयर किस्म भूमि...गै.मु.गोचर...भूमि में से...0.0172...हैक्टेयर/वर्गमीटर र सम्वत् ...2074...में नाजायज...बाड़ा बनाकर...अवैध रूप से अतिक्रमण है, अत इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 रा 91 अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत करवाया गया। गैर सायल द्वारा निम्ना जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें गैर सायल ने ...है कि मुझ प्रार्थी को गलत आधारों पर नोटिस दिया गया है जिसे ...स्त करवाया जावे/ वर्णित भूमि आबादी भूमि है। ...

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर ...बाड़ा बनाकर... मण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत ने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल ...श्रवणाराम...का उक्त नम्बर...319...तादादी...3.93...हैक्टेयर ...गै.मु.गोचर...भूमि में ...0.0172...हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। अतः गैर सायल ...वणाराम...अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल ...श्रवणाराम...पुत्र/पत्नि श्री ...गणपतराम... ...जाट...निवासी...लिखमीसर उतरादा...को ग्राम ...लिखमीसर उतरादा... सरा नम्बर ...319...तादादी...3.93...हैक्टेयर गै मु ...गोचर... ं से ...0.0172...हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् ...2074...का अतिक्रमी किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान ...0.02... रूपये गुणा से ...1200... रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने ाखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ...16.5.18... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजिलास गया। पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल